चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री सत्यमपति त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी विजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर श्री अंशुमान द्वारा थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 07/2024 धारा 279,338 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त उमेश पुत्र रामकुमार निवासी पराको थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(3). आज दिनाँक 03.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट में अधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को बीट व बीट पुस्तिका के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने रिक्रूट आरक्षियों को बीट किसे कहा जाता है,बीट पुस्तिका क्या होती है,पुलिस रेगुलेशन के पैरा 61 आरक्षी के कर्तव्यों एवं शक्तियों का वर्णन, पुलिस रेगुलेशन के पैरा -63 के अनुसार कानून व्यवस्था एवं अपराध पर नियंत्रण हेतु पुलिस हल्कों एवं बीट व्यवस्था में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया तथा बीट अधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार जैसे ग्राम प्रहरियों का दायित्व,सी-प्लान एप का उपयोग,बीट क्षेत्र में लाइसेन्स धारकों,पासपोर्ट धारकों,सम्भ्रान्त व्यक्तियों के नाम बीट बुक में दर्शाने,थाने पर प्राप्त सभी प्रकार के बीट सम्मन,नोटिस,वारण्ट, प्रार्थना पत्र जांच,चरित्र सत्यापन,विवेचना सम्बन्धित पासपोर्ट,तामिला,क्षेत्रीय त्यौहारों,हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों की चेकिंग, बीट क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन, संभावित विवादों के दृष्टिगत बीट सूचना अंकित कराने एवं ग्राम अपराध रजिस्टर नम्बर 08 जिसमें 1.गांव के प्रमुख व्यक्तियों और संसाधनों का विवरण,सामान्य अपराधों और मुकदमों का विवरण,अपराधियों की सजा और निगरानी,गंभीर अपराधों का विवरण,बीट पुस्तिका के भाग जिसमें भौगोलिक विवरण एवं समान्य जानकारी,बीट के ग्राम मोहल्लों के प्रमुख व्यक्तियों के नाम,विवाद,आपराधिक ठिकानों का विवरण,अपराध एवं अपराध नियंत्रण,अपराधियों की निगरानी/पतारसी/सुरागरसी,बी0पी0ओ0/बीट आरक्षी की कार्य डायरी के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया।

(4). आज दिनांक 03.12.2025 को क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली,निरीक्षक श्री नरेश कुमार प्रजापति,आरक्षी रामविलास यादव व आरक्षी शिवम द्विवेदी थाना साइबर टीम द्वारा श्री जी इंटरनेशनल स्कूल खोह कर्वी में साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया।जिसमें लगभग 100 से 120 छात्र/छात्राओं को जागरूक किया गया।

इस जागरुकता कार्यक्रम के तहत सभी छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी गयी जिसमें बचाव के प्रमुख बिन्दु निम्न है- 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर,एस0एम0एस0 न बताये। 2.एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करे व किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें । 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0 फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी भी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8. फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न

ही कोई पैसे भेजें। 10.साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी व उनकी टीम द्वारा नाबालिग बालिका को शादी का झाँसा देकर बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले 01 आरोपी अभियुक्त एवं ले जाने में सहयोग करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों का नाम पता का विवरण-

1. रज्जू उर्फ युगराज सिंह पुत्र छविनाथ सिंह उर्फ पप्पू सिंह भदौरिया निवासी अगरहुण्डा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट।

2. गणेश सिंह पुत्र कमल सिंह निवासी अगरहुड़ा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट।

3. रोहित सिंह पुत्र जयपाल सिंह निवासी मनकुवार दौलतपुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

बरामदगी-

01 अदद मोटरसाइकिल

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि एक वादी द्वारा थाना रैपुरा पर सूचना दी कि उनकी पुत्री राजा राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरहट थाना रैपुरा बस द्वारा पढने गयी थी। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि रज्जू उर्फ युगराज सिंह पुत्र छविनाथ सिंह उर्फ पप्पू सिंह भदौरिया निवासी अगरहुड़ा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट आपकी पुत्री को मोटर साइकिल में बैठाकर चला गया, मोटर साइकिल गणेश चौहान S/O कम्मों चौहान निवासी अगरहुड़ा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट की है। इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 281/025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

आज दिनाँक 03.12.025 को प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी व उनकी टीम वाँछित/वारण्टी ,संदिग्ध व्यक्तियों ,बैंक चेकिंग हेतु मामूर होकर रामनगर कस्बे मे मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास ने आकर बताया कि साहब जो लोग बरहट स्कूल से एक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गये थे । वे लोग इस समय रामनगर ब्लाक मोड़ पर एक काली रंग की मोटर साइकिल लेकर खड़े है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है कि मुखबिर खास की इस सूचना पर विश्वास करके मुखबिर के उसके बताये हुये स्थान पर राम नगर ब्लाक मोड़ के थोड़ा पहले पहुँचे तो मुखबिर ने इशारा करके बताया कि व जो तीन लोग पीले रंग की जैकेट, नीले रंग का जैकेट एवं महरुन रंग का जैकेट पहने हुये बाई तरफ काली रंग की मोटर साइकिल के साथ खड़े है ये वही लोग है तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिस देकर उक्त व्यक्तियों को घेर घार कर आवश्यक बल प्रयोग कर रामनगर ब्लाक मोड़ पर पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने हुये जामा तलाशी ली गयी तो एक व्यक्ति ने अपना नाम रज्जू उर्फ युगराज सिंह पुत्र छविनाथ सिंह उर्फ पप्पू सिंह भदौरिया निवासी अगरहुण्डा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट बताया तथा जिसके जामातलाशी से पहने हुये पैन्ट की बायी जेब से 01 अदद एण्ड्राइड फोन टेक्नो कम्पनी का बरामद हुआ तथा दूसरे ने अपना नाम गणेश सिंह पुत्र कमल सिंह निवासी अगरहुड़ा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट बताया तथा जिसके जामातलाशी से पहने हुये पैन्ट की दाहिनी जेब से 01 अदद एण्ड्राइड फोन सैमसंग कम्पनी का बरामद हुआ तथा तीसरे व्यक्ति ने रोहित सिंह पुत्र जयपाल सिंह निवासी मनकुवार दौलतपुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट बताया जिसके जामा तलाशी मे पहने हुये पैन्ट की दाहिनी जेब से 01 अदद एण्ड्राइड फोन आई-टेल कम्पनी का बरामद हुआ । पकड़े गये उक्त व्यक्तियों से कड़ाई से पूछतांछ की गयी तो रज्जू उर्फ युगराज ने बताया कि मेरा एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा है । दि0 25.11.25 राजाराम स्कूल बरहट के गेट के पास से उस लड़की को बहला फुसलाकर एवं शादी का झांसा देकर भगा ले गया था । उस दिन मैने गणेश को जो कि मेरे गांव का रहने वाला

है को बोड़ी पोखरी के पास बुलाया था गणेश अपनी मो0सा0 स्पेलेण्डर प्लस नं0 UP 96 R 3281 लेकर आया था फिर मैने अपने मामा के लड़के रोहित को और उसके दोस्त विकास पाण्डेय को फोन करके बुलाया और मैं गणेश की मो0सा0 लेकर राजाराम स्कूल बरहट गया वहां से उस लड़की को लेकर बोड़ी पोखरी आया फिर मैं गणेश की मो0सा0 पर रोहित को पीछे बैठा लिया और दूसरी मो0सा0 पर विकास पाण्डेय और गणेश बैठ गये फिर हम लोग दोनो मो0सा0 से वहां से उस लड़की को भगा कर ले गये थे तथा गणेश और रोहित ने एक ही स्वर में बताया कि साहब हम लोग 25.11.25 को दोस्ती यारी के चक्कर में उस लड़की को भगाने में रज्जू का सहयोग किये थे। आज हम तीनो लोग अपने एक दोस्त से मिलने के लिये आये थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया। मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1)/123/61(2) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा मोटर साइकिल स्पेलेण्डर प्लस नं0 UP 96 R 3281 के कागजात अभियुक्त गणेश से मागा गया तो दिखा सका। जिसे अन्तर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट व मुकदमा उपरोक्त में सीज किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी

2.उ0नि0 मुकेश कुमार

3 का0 सूरज कुमार निर्मल

4.का0 बब्बू राजा

5.का0 चालक धर्मेन्द्र सिंह